कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत–सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)
जिला कार्यालय/DISTRICT OFFICE
621, सुभाष नगर ए, मिल गेट, पाली (राज0)306401
621, SUBHASH NAGAR A, MILL GATE, PALI (RAJ) 306401
☎02932-257111, Email : do.pali@epfindia.gov.in

S.No./EPFO/DO Pali/Building/ Date :

TENDER NOTICE FOR HIRING OF OFFICE ACCOMODATION AT PALI

EPFO, Regional Office, Jodhpur requires office accommodation for rent for Its District office, Pali with the carpet area of about 1120 ((+)(-) 10%) Sq. Ft. each in area easily approachable to public. The interested public/private persons/institutions/ organizations/authorities may send their offer in Two Bid System (Technical Bid &Financial Bid) through offline mode only in the prescribed format on or before **05PM 27.02.2023**to Shri Paritoshdeep Singh Sekhon, RPFC-II (Administration) at the address noted below.

Employees' Provident Fund Organisation
Regional Office, Jodhpur
130, Paschim Pal Vistra Yojna,
Opp. Shankar Nagar, Jodhpur (Raj.) 342008

Opening Date of issuing EOI	:	01.02.2023
Last Date and Time of receipt of EOI	:	27.02.2023 (at 5 PM)
Date and Time of opening of EOI	:	01.03.2023 (at 3 PM)
Place of opening Tender	:	EPFO, Regional Office, Jodhpur

A. TERMS AND CONDITIONS TO BE SATISFIED :

1. The successful party will be declared as "the lessor" which means and includes not only the party but also his legal heirs, successors, successors in office, legal representatives.

2. Any change in the ownership of the premises shall be notified forthwith by the lessor to the lessee in writing and such change shall not relieve the succeeding owner of liabilities under this contract.

3. In case a particular party owns more than one premises and he wishes to submit EoI in respect of those premises, he should submit separate EoI containing technical document and price quotation in respect of each premises.

4. In case of co-owners/joint owners, the technical document &Price quotation should be signed by all the co-owners/joint owners. In case any one of the owners chooses to sign the EOI documents, he should invariably submit an authorization to do so from the remaining owners.

5. The building in which office space is offered shall have all basic amenities like proper water connection/facilities, adequate fire protection system as per local authority requirements etc. The building should have separate electricity and water connec0ons. Sufficient wiring and meters should be in place to take up electricity load for air conditioning of the premises. EPFO shall bear actual charges for consumption of electricity and water. Owner should undertake to provide separate electricity/water meters for this purpose.

6. In case of damage to the leased property due to any natural calamities, rioting etc., EPFO, Regional Office, Jodhpur will not undertake to compensate the loss or damage incurred by the owner of the property.

7. The EOI will be acceptable from the original owner/lease holder/power of attorney holder of the building/property or their authorized agents. The lease deed would however be executed by the original owner / lease holder. The lease deed would be executed after the verification of documents and physical inspection of the premises offered for hire by EPFO, Regional Office, Jodhpur. The building should be legally free from all encumbrances. The owner has to submit a certificate stating that no case is pending against the property for which offer is given.

8. The premises should have adequate parking facility.

9. The owner shall mention whether he/she is ready to bear the cost of registration of the Lease deed.

10. The owner shall sign all the papers of tender documents in taken of having understood the terms and conditions.

11. A non- encumbrance Certificate issued by Registrar Authority for the Last 15 year must be provided.

12. No advance/ deposit will be made by EPFO.

13. Rent shall be payable from the date of handing over vacant possession of the premises for DISTRICT OFFICE of EPFO, after completion of necessary, repairs, renovation, addition etc.

14. Rent will be payable for the month on or before the $10^{th}$of each month following the month for which the same shall become due.

15. A key plan of the building should be enclosed along with the offer.

16. The premises should have separate Toilets for Ladies and Gents or should undertake to make arrangements. Sufficient water supply should be available. Source of water supply needs to be mentioned.

17. Rent will be paid on carpet area. The carpet area means area of the premises less, wall/columns, staircases, verandah, lobby, balcony, toilets etc. even though the same is given for EPFO's use In built up area.

18. The owner of the building has to clearly mention whether she/he is ready to accept the fair rent to be fixed by the CPWD/PWD or the rent which he/she quotes or whichever is less.

19. EPF0, RO, Jodhpur will not make any security deposit or any brokerage for the offered property under any circumstances.

20. The lease rental shall be subject to TDS as per the provisions of the Income Tax Act in force along with all statutory laws as applicable from time to time.

21. All existing and future/enhanced Municipal Corporation taxes, and other taxes, fees will be paid by owner/renewal fees towards obtaining NOC from COMPETENT LOCAL AUTHORITY for commercial use of the premises will be borne by owner of the premises.

22. For the floor area measurement a certificate from the registered architect or any government authority should be submitted along with the technical document.

23. EOI not conforming to these requirements shall be rejected and no correspondence will be entertained in this regard whatsoever.

24. After opening of the technical document and before evaluation of the same, the Committee constituted by the lessee (EPFO, RO, Jodhpur) shall inspect the premises and ascertain its suitability for the purpose of setting the office. In case the Committee finds the premises not suitable for the purpose of setting up of the office, the technical

document submitted by such a owner will not be evaluated and the Price quotation of the owner will not be opened. The decision of the committee in this matter will be final.

25. EPFO, Regional Office, Jodhpur reserves the right to shortlist any offer or reject any offer or cancel the requirement altogether without assigning any reason.

26. Overwriting, alterations, If any, in the document should be signed by the authorized signatory.

27. The building should be ready to occupy immediately.

28. EPF0, Regional office, Jodhpur may, at any time during the period of the rent/extended rent Period make such structural alterations to the existing buildings such as partitions, office fixtures and fittings as may be easily removable.

29. <u>Lease Period</u>

A period of 5 (five) years from the date of handing over vacant possession and thereafter option of further extended period on mutually agreed consent of both the parties with enhancement of rent at as per DISTRICT OFFICE OF EPF0 policy. However, rent may be revised after the period of 5 year up to 15% on the existing rent or on fair rent certification from CPWD/PWD of the state Govt. on subsequently on mutual consent. Further, on 3 Month's Notice, the proposed premises may be vacated by the either party.

30. The Following documents should be submitted along with EOI Documents :

I. Copy of ownership certificate.
II. Copy of latest Tax paid receipt for the commercial use of the building.
III. Latest encumbrance certificate.
IV. No legal case is pending certificate from owner.
V. Copy of approved plan from local body.
VI. Copy of completion/occupancy certificate from local body.
VII. Fire clearance from the fire department
VIII. Key plan of the premises.
IX. Details of availability of Electrical load.
X. Copy of the latest electrical bill.
XI. Copy of the fair Rent to be issued by CPWD/PWD of the state Govt.
XII. Whether owner is willing to sign EPFO Standards Lease Deed with the condition to renew the rent after every 5 year with 15% enhancement
XIII. Certificate for validity of offer for 6 months.
XIV. Agreement to be registered with the expense of owner. Certificate in this regard if agrees for the same to be submitted.

i) TECHNO-COMMERCIAL BID –

Interested parties should submit the complete Expression of Interest document, including **Annexure - I , Annexure - II and Annexure - III** duly filled in and ink signed at the bottom of each page, in token of having accepted the terms and conditions. These documents as well as additional information and the documents called for in EOI document should be sealed in an envelope superscripted:

TECHNICAL DOCUMENT FOR OFFICE ACCOMMODATION "EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE, PALI".

ii) PRICE BID –

Price Quotation for monthly rent (both in figures and words), in lump sum strictly as per Annexure-II, may be put in second envelop duly sealed and superscripted:

"PRICE QUOTATION FOR MONTHLY RENT FOR ACCOMMODATION "EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE, PALI".

Both this envelopes may then be put in another bigger separate cover. This third cover may also be sealed and bear superscription:

"EOI FOR OFFICE ACCOMMODATION FOR "EMPLOYEES PRDVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE, PALI".

31. The EOI offer should be sent ether by speed post or may be submitted in drop box so as to reach Employees Provident Fund Organization, Regional Office, Jodhpur, 130, Paschim Pal Vistar Yojna, Opp. Shankar Nagar, Jodhpur (Raj.) 342008 on or before 5 PM on 27.02.2023.The EOI should be submitted by name to ShriParitoshdeep Singh Sekhon, RPFC-II (Administration).

32. Requests received against the EOI shall be processed in two parts. All information and documents furnished in response to this invitation including Annexure - I shall be deemed to be a technical offer. In the event prices are indicated by the party in the Technical document, the EOI request shall stand rejected. Details furnished in the Technical Offer shall be assessed/ evaluated. Price quotation of only those bidders/Parties shall be opened on a later date whose Technical Offers are found acceptable and suitable by the committee.

33. Rent charges shall be paid at the fixed rate at the end of each month or as per the Lease Agreement entered into with the party on the Terms & conditions mutually agreed.

34. In the event of Technical offer being found acceptable, the selected party will be required to furnish the original copy of the Title Deed of the Property along with proof of identity of the owner along with photograph(s) before the price bids are opened. Original Documents shall be returned after decision is taken to open price bids or otherwise.

35. Quoting parties may keep their offer valid for a period of 06 months. (Written statement should be enclosed).

36. The **“Price quotations for monthly rent for accommodation EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE, PALI”** of the selected technical offers only will be opened.

37. The decision of EPFO, Regional office, Jodhpur will be final and cannot be challenged.

38. If any special offers, additional facilities are there from the owner's side that may be mentioned as separate attachment.

Annexure-I (TECHNICALBID)

1. Name of Person / Party holding Title to the Property:
2. Nationality of the Owner:
3. Full Postal Address of Property with PIN code :
4. Total Carpet Area In Sqr feet (Floor wise)
5. Contact Details Name :

   Mobile No :
   Fax :
   E-mail :

6. Essential Documents Furnished (please tick mark the correct option)

i. Copy of ownership certificate. YES/NO
ii. Copy of latest Tax paid receipt for the commercial use of the building. YES/NO
iii. Latest encumbrance certificate. YES/NO
iv. No legal case is pending certificate from owner. YES/NO
v. Copy of approved plan from local body. YES/NO
vi. Copy of completion/occupancy certificate from local body. YES/NO

vii. Fire clearance from the fire department. YES/NO

viii. Key plan of the premises. YES/NO

ix. Details of availability of Electrical load. YES/NO

x. Copy of the latest electrical bill. YES/NO

xi. Copy of the fair Rent to be issued by CPWD/PWD of the state Govt. YES/NO

xii. Whether owner is willing to sign EPFO Standards Lease Deed with the condition to renew the rent after every 5 year with 15% enhancement. YES/NO

xiii. Certificate for validity of offer for 6 months. YES/NO

xiv. Agreement to be registered with a expense of owner. Certificate in this regard if agrees for the same to be submitted. YES/No

Annexure -II (PRICE BID)

a) Name :
b] Address(office & residence) :
c) Address of Property offered :

Sl. No	Brief Description	Total Carpet area	Rent quoted per square foot	Total amount/Month in Rs.
1	Property offered			
2	Taxes if any			
3	Any other charge			
	Total			

Total Monthly rental (in figures inclusive of every charge): Rs.
Total Monthly rental (in words inclusive of every charge): Rs.

Incremental/Decremented rates of rent for the extended period in percentage:

Signatures:
Name:
Designation:

Note:

a. Quote should be covering all taxes and duties.

b. Total Monthly rental shall be the amount payable by Employees Provident Fund Organization, District Office, Pali monthly as rent.

c. Rates should be quoted in figures and words without any errors, overwriting or corrections and should include all applicable taxes etc. In case of any discrepancy between the amount mentioned in number and words, the amount mentioned in words shall prevail.

Annexure-III

DECLARATION

I .... s/o .... hereby offer the premises stated in the Annexure I for rent to Employees Provident Fund Organization, Regional office, Jodhpur, Whatever is stated in the Eol documentis true to the best of my knowledge and ability. I have not changed the contents of the Eol document and have duly verified and signed the same.

Yours faithfully,

Name & signature with stamp (if any) of party or Authorized Signatory

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत–सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)
जिला कार्यालय/DISTRICT OFFICE
621, सुभाष नगर ए, मिल गेट, पाली (राज0)306401
621, SUBHASH NAGAR A, MILL GATE, PALI (RAJ) 306401
☎02932-257111, Email : do.pali@epfindia.gov.in

S.No./EPFO/DO Pali/Building/ Date :

पाली में कार्यालय परिसर किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को अपने जिला कार्यालय, पाली के लिए लगभग 1120 ((+) (-) 10%) वर्ग फीट कारपेट एरिया के साथ किराए पर कार्यालय परिसर की आवश्यकता है, जो आमजन के लिए सुगम हो। इच्छुक सार्वजनिक / निजी व्यक्ति / संस्थान / संगठन/ प्राधिकरण अपना प्रस्ताव दो बोली प्रणाली में (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) निर्धारित प्रारूप में केवल ऑफलाइन मोड में 27.02.2023 सायं 05 PM तक या उससे पहले श्री पारितोषदीप सिंह सेखों, क्षेभनिआ-II को नीचे बताए गए पते पर भेज सकते है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर
130,पश्चिम पाल विस्तार योजना,
शंकर नगर के सामने, जोधपुर (राज.) 342008.

ईओआई जारी करने की प्रारम्भिक दिनांक	:	01.02.2023
ईओआई प्राप्ति की अन्तिम दिनांक व समय	:	27.02.2023 (05 PM)
ईओआई खोलने की दिनांक व समय	:	01.03.2023 (03 PM)
निविदा खोलने का स्थान	:	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर

अ. **<u>सन्तुष्ट की जाने वालीनियम व शर्तें</u>**:

01. सफल पार्टी को " पट्टदाता" घोषित किया जायेगा जिसका अर्थ है और जिसमे न केवल पार्टी बल्कि उसके कानूनी उत्तराधिकारी,उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल है।
02. परिसर के स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन की सूचना पट्टादाताअविलम्ब पट्टेदार को लिखित रूप में देगा और इस तरह के परिवर्तन के तहत उत्तरवर्ती मालिक को देनदारियों से मुक्त नहीं किया जायेगा।
03. यदि किसी पार्टी के पास एक से अधिक परिसर है और वह उन परिसरों के संबंध में ईओआईप्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक परिसर के संबंध में तकनीकी दस्तावेज और मूल्य उद्धरण सहितअलग - अलगईओआई जमा करने चाहिए।
04. सह-मालिक / संयुक्त मालिकहोने की स्थिति में, तकनीकी दस्तावेज और मूल्य उद्धरण पर सभी सह-मालिकों / संयुक्त मालिकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।यदि उनमें से कोई मालिक ईओ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहता है, तोउसे शेष मालिकों से ऐसा करने के लिए एक सहमति प्रस्तुत करनीहोगी।
05. जिस भवन में कार्यालय के लिए जगह प्रस्तावित की गई है, उसमें सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी का उचित कनेक्शन / सुविधाएं, स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकताओं अनुसार उचित अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि होनी चाहिए।परिसर में अलग से बिजली और पानी के कनेक्शन होने चाहिए। परिसर में एयर कंडीशनिंग के लिए बिजली का लोड़ उठाने के लिए पर्याप्त वायरिंग और मीटर होने चाहिए। ईपीएफओ बिजली और पानी की खपत का वास्तविक शुल्क वहन करेगा। मालिक इस प्रयोजन के लिए अलग से बिजली / पानी के मीटर प्रदान करने का वचन दे।
06. किसी भी प्राकृतिक आपदा, दंगे आदि के कारण लीज पर दी गई संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में, ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर संपत्ति मालिक द्वारा किए गए नुकसान या क्षति की भरपाई करने का वचन नहीं देगा।
07. भवन / संपत्ति के मूल मालिक / लीज धारक / पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या उनके प्राधिकृत एंजेंटों से ईओआई स्वीकार्य होगा। हालांकि लीज डीड का कार्यान्वयन मूल मालिक / लीज धारक द्वारा किया जायेगा। ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर द्वारा किराए के लिए प्रस्तावित भवन के दस्तावेजों का सत्यापन और भौतिक निरीक्षण के बाद लीज डीड निष्पादित की जायेगी। भवन विधिक रूप से सभी भार से मुक्त होना चाहिए। मालिक को एक प्रमाण पत्र यह बताते हुए जमा करना होगा कि जिस संपत्ति के लिए प्रस्ताव दिया गया है, उसके खिलाफ कोई लम्बित मामला नहीं है।

08. परिसर में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
09. मालिक को यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह लीज डीड के पंजीकरण की लागत वहन करने के लिए तैयार है।
10. निविदा दस्तावेजों के सभी कागजातों के नियम व शर्तों को समझ लेने के बाद मालिकको हस्ताक्षर करने होंगे।
11. प्राधिकरण रजिस्ट्रार द्वारा पिछले 15 वर्षों का जारी गैर-भार प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
12. ईपीएफओ द्वारा कोई अग्रिम / जमा नहीं किया जायेगा।
13. आवश्यक मरम्मत, जीर्णोद्वार, अतिरिक्त कार्य आदि पूर्ण होने के बाद खाली परिसर काआधिप्तय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिला कार्यालय को प्रदान करनेकी तिथि से किराया देय होगा।
14. जिस महीनें के लिए किराया बकाया होगा, उसके बाद के प्रत्येकमहीने की 10 तारीख पर या उससे पहले माहका किराया देय होगा।
15. प्रस्ताव के साथ भवन का एक मुख्या नक्शा संलग्न किया जाना चाहिए।
16. परिसर में महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए या व्यवस्था करने का वचन दे। पर्याप्त जलापूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।जल आपूर्ति स्त्रोत का उल्लेख किया जाना चाहिए।
17. कारपेट एरिया पर किराया देय होगा। कारपेट एरिया का अर्थ है परिसर के क्षेत्रफल से, दीवार / स्तंभ, सीढ़ियां, वरामदा, लॉबी, बॉलकनी, शौचालय आदि को घटाकर क्षेत्रफल, भले ही इन्हे ईपीएफओ को निर्मित क्षेत्र में उपयोग के लिए दिया गया हो।
18. भवन मालिक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि क्या वह सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी द्वारा तय किए जाने वाले उचित किराए या उसके द्वारा उद्धरत किया गयाकिराया या जो भी कम हो, को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
19. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर किसी भी स्थिति में प्रस्तावित संपत्ति के लिए कोई सुरक्षा राशिया किसी प्रकार की ब्रोकरेज नहीं देगा।
20. समय-समय पर लागू सभी वैधानिक कानूनों के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत लीज रेंटल टीडीएस के अधीन होगा।
21. परिसर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए सक्षम स्थानीय प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने के लिए सभी लागू और भविष्य / बढ़े हुए नगर निगम कर और अन्य कर, शुल्क का भुगतान / नवीनीकरण शुल्क का भुगतान परिसर मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
22. फर्श क्षेत्र माप के लिए तकनीकी दस्तावेज के साथ पंजीकृत वास्तुकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

23. इन आवश्यकताओं के अनुरूप ईओआईनहीं होने पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. तकनीकी दस्तावेज खोलने के बाद और उसके मूल्यांकन से पहले, पट्टेदार (ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर) द्वारा गठित समिति परिसर का निरीक्षण करेंगी और कार्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी उपयुक्तता का पता लगाएगी। यदि समिति कार्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से परिसर को उपयुक्त नहीं मानती है, तो ऐसे मालिक द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी दस्तावेज का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे मालिक का मूल्य कोटेशन नहीं खोला जायेगा। इस मामलें में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
25. ईपीएफओं, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को शॉर्टलिस्ट करने या किसी प्रस्ताव को निरस्त करने या आवश्यकता को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
26. दस्तावेज में ओवरराइटिंग, परिवर्तन यदि कोई हो, प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।
27. परिसरआधिपत्य के लिए तत्काल तैयार हो।
28. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर किराए की अवधि / विस्तारित किराया अवधि के दौरान किसी भी समय मौजूदा परिसरों में विभाजन, कार्यालय फिक्सर और फिटिंग जैसे संरचनात्मक परिवर्तन जो आसानी से हटाने योग्य हो, को कर सकता है।

29. **<u>लीज अवधि</u>**

खाली आधिपत्य सौपने की तिथि से 05(पांच) वर्ष की अवधि और उसके बाद ईपीएफओ जिला कार्यालय की नीति अनुसार दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति पर किराए में वृद्धि कर आगे अवधि विस्तारित का विकल्प किया जा सकता है। हांलाकि, किराए में 05 साल की अवधि के पश्चातवर्तमान किराए पर 15% तक की वृद्धि या सीपीडब्ल्यूडी / राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी से उचित किराया प्रमाणीकरण पर आपसी सहमति के साथ संशोधित किया जा सकता है। फिर भी आपसी सहमति से। फिर भी, 03 महीने के नोटिस पर प्रस्तावित भवन को किसी भी पक्ष द्वारा खाली किया जा सकता है।

30. **<u>ईओआई दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए।</u>**

01. स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति।
02. भवन के व्यवसायिक उपयोग के लिए नवीनतम कर भुगतान रसीद की प्रति।
03. नवीनतम भार प्रमाणपत्र।
04. मालिक द्वारा प्रदानकोई कानूनी कार्यवाहीलंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
05. स्थानीय निकाय से अनुमोदित प्लान की प्रति।

06. स्थानीय निकाय से पूर्णता / अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रति।
07. अग्निशमन विभाग से फायर क्लीयरेंस।
08. परिसर कामुख्य प्लान।
09. विधुत भार की उपलब्धता का विवरण।
10. नवीनतम विधुत बिल की प्रति।
11. सीपीडब्ल्यूडी / राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी उचित किराए की प्रति।
12. क्या मालिक ईपीएफओ की मानक लीज डीड परप्रत्येक 05 वर्ष की वैधता के बाद 15% वृद्धि के नवीनीकरण की शर्त पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।
13. 06 महीने के लिए प्रस्ताव की वैधता का प्रमाण पत्र।
14. मालिक के खर्चेपरअनुबंधपंजीकृत किया जाना है। इस संबंध में यदि सहमति होने का प्रमाण पत्र जमा किया जाए।

i. **<u>तकनीकी - वाणिज्यिक बोली</u>**-

इच्छुक पार्टियांरूचि की अभिव्यक्ति केपूर्ण दस्तावेज परिशिष्ट-I, परिशिष्ट-II और परिशिष्ट-IIIसहित पूर्ण रूप से भरा हुआ और नियम और शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे स्याही से हस्ताक्षरित कर जमा करे।इन दस्तावेजों के साथ-साथ अतिरिक्त जानकारी और ईओआई दस्तावेज के लिए मांगे गए दस्तावेजों को एक लिफाफे में बंद करके बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए:

“कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय, पाली” के लिए कार्यालय आवास हेतु तकनीकी दस्तावेज।

ii. **<u>मूल्य बोली</u>-**

मासिक किराए हेतु मूल्य उद्धरण (अंकों और शब्दों दोनों में), परिशिष्ट-II के अनुसार एकमुश्त राशि में, मुहरबंद लिफाफे और बड़े-बड़े अक्षरों में लिख कर दूसरे लिफाफे में रखा जा सकता हैः

“कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय, पाली” के लिए कार्यालय आवास हेतु मूल्यउद्धरण।

इन दोनों लिफाफों को फिर एक और बड़े अलग लिफाफे में रखा जा सकता है।यह तीसरा कवर भी सील किया जाएं और बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाए:

“कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय, पाली” के लिए कार्यालय आवास हेतुईओआई।

31. ईओआई प्रस्ताव स्पीड़ पोस्ट द्वाराभेजा जाना चाहिए या ड्रॉप बॉक्स में जमा किया जा सकता है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर 130, पश्चिम पाल विस्तार योजना, शंकर नगर, जोधपुर (राज.)-342008 में 27.02.2023 को या सायं 05 बजे से पहले पहुँच सके।ईओआई श्री पारितोषदीप सिंह सेखो, क्षेभनिआ-॥ (प्रशासन) के नाम से को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
32. ईओआई के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर दो भागों में कार्रवाई की जायेगी।इस आमंत्रण के प्रतिउत्तरमें संलग्नक-। सहित प्रस्तुत की गई सभी जानकारी और दस्तावेजों को एक तकनीकी प्रस्ताव माना जायेगा।तकनीकी दस्तावेज में पार्टी द्वारा राशि का उल्लेख करने की स्थिति में, ईओआई अनुरोध अस्वीकार कर दिया जायेगा।तकनीकी प्रस्ताव में प्रस्तुत विवरण का आंकलन / मूल्यांकन किया जायेगा।केवल उन्हीं बोलीदाताओं / पार्टीयों का मूल्य उद्धरणआगे की तारीख में खोला जायेगा जिनका तकनीकी प्रस्ताव समिति द्वारा स्वीकार्य और उपयुक्तपाया जायेगा।
33. किराया शुल्क का भुगतान निश्चित दरपर प्रत्येक माह के अंत में या आपसी सहमति केनियम और शर्तों के आधार परपार्टी के साथ किए गए लीज समझौते के अनुसार किया जायेगा।
34. तकनीकी प्रस्ताव के स्वीकार्य पाए जाने की स्थिति में, चयनित पार्टी को मूल्य बोलियों को खोले जाने से पूर्व संपत्ति के टाइटल डीड़ की मूल प्रति के साथ मालिक के पहचान पत्र और फोटोग्राफ(ओ) के साथ प्रस्तुत करना होगा। मूल्य बोलियों को खोलने या अन्यथा निर्णय लेने के बाद मूल दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे।
35. उद्धरणकरने वाली पार्टियां अपने प्रस्ताव को 06 महीनें की अवधि के लिए वैध रख सकती है।(लिखित विवरण संलग्न होना चाहिए)
36. **"कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय, पाली के लिए कार्यालय आवास हेतु मूल्य उद्धरण"** केवल चयनित तकनीकी प्रस्तावों को ही खोला जायेगा।
37. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
38. मालिक की तरफ से यदि कोई विशेष प्रस्ताव हो, अतिरिक्त सुविधाएं हो तो उनका उल्लेख अलग अनुलग्नक में किया जा सकता है।

परिशिष्ट-I (तकनीकी बोली)

01. सम्पत्तिपर अधिकार रखने वाले व्यक्ति / पार्टी का नाम :

02. मालिक की राष्ट्रीयता :

03. संपत्ति का पूरा डाक पतापिन कोड़ सहित:

04. कुल कारपेट एरिया वर्ग फुट में (फर्श वाइज) :

05. सम्पर्क विवरण नाम :

मोबाइल न.

फैक्स

ई-मेल

06. आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत है (कृपया उचित विकल्प पर निशान लगाएं)

i.	स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति	हाँ / नहीं
ii.	भवन के व्यवसायिक उपयोग के लिए नवीनतम कर भुगतान रसीद की प्रति।	हाँ/ नहीं
iii.	वर्तमान भार प्रमाण पत्र	हाँ / नहीं
iv.	कोई भी विधिक कार्यवाही लम्बित नहीं संबंधित मालिक का प्रमाण पत्र	हाँ / नहीं
v.	स्थानीय निकाय से अनुमोदित प्लान की प्रति	हाँ / नहीं
vi.	स्थानीय निकाय से पूर्णता / अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रतिहाँ / नहीं	
vii.	अग्निशमन विभाग से फायर क्लीयरेंस ।	हाँ / नहीं
viii.	परिसर का मुख्य प्लान।	हाँ / नहीं
ix.	विधुत भार की उपलब्धता का विवरण।	हाँ / नहीं
x.	नवीनतम विधुत बिल की प्रति	हाँ / नहीं
xi.	सीपीडब्ल्यूडी / राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी उचित किराए की प्रति।	हाँ / नहीं
xii.	क्या मालिक प्रत्येक 05 वर्ष पश्चात 15% वृद्धि की शर्त के साथ किराया नवीणीकरण करने के लिए ईपीएफओ मानक लीज डीड़ पर हस्ताक्षर करने को तैयार है।	हाँ / नहीं
xiii.	06 महीने के लिए प्रस्ताव की वैधता का प्रमाण पत्र	हाँ / नहीं
xiv.	मालिक के खर्चे पर अनुबंध पंजीकृत किया जाना है। इस संबंध में यदि सहमति होने का प्रमाण पत्र जमा किया जाए।	हाँ / नहीं

परिशिष्ट-II (मूल्य बोली)

अ. नाम:

ब. पता (कार्यालय और निवास):

स. प्रस्तावित संपत्ति का पता :

क्रं.सं.	संक्षिप्त विवरण	कुल कारपेटएरिया	प्रति वर्ग फुट उद्धरत किराया	कुल राशि / माह मेंरूपये
1	प्रस्तावित संपत्ति			
2	कर यदि कोई हो			
3	अन्य कोई शुल्क			
	कुल			

कुल मासिक किराया (प्रत्येक शुल्क सहित आंकड़ों में) : रू.

कुल मासिक किराया (प्रत्येक शुल्क सहित शब्दों में) : रू.

विस्तारित अवधि की बढ़ी हुई / घटी हुई किराए की दर प्रतिशत में :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

नोट :

अ. उद्धरण में सभी कर और शुल्क शामिल होने चाहिए।

ब. कुल मासिक किराया वह राशि होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिला कार्यालय, पाली द्वारा मासिक किराए के रुप में देय है।

स. उद्धरतदर बिना किसी त्रुटि, ओवरराइटिंग या सुधार के अंकों और शब्दों में होनी चाहिए और सभी प्रभावी कर आदि इसमें शामिल होने चाहिए। अंकों और शब्दों में उल्लेखित राशि में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर शब्दों में उल्लेखित राशि मान्य होगी।

<u>परिशिष्ट -III</u>

<u>घोषणा</u>

मैं...................................... पुत्र श्री....................................इसके द्‌वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को परिशिष्ट-I में बताए गए परिसर को किराए पर देने का प्रस्ताव करता हूँ, जो कुछ भीईओआई दस्तावेज में बताया गया है वह मेरीसमझ और क्षमता के अनुसार सत्य है। मैंने ईओआई की विषयवस्तु में कोई बदलाव नहीं किया है औरइसे सत्यापित और हस्ताक्षरित किया है।

आपका,

पार्टी का या प्राधिकृत अधिकारी का
नाम और सील (यदि कोई हो)सहित हस्ताक्षर